रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102020-222753 CG-DL-E-26102020-222753

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 546] No. 546] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 26, 2020/कार्तिक 4, 1942 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2020/KARTIKA 4, 1942

# उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2020

सा.का.िन. 670(अ).—केन्द्रीय सरकार भाण्डागारण(विकास और विनियमन)अधिनियम,2007 (2007 का 37) की धारा 25 के साथ पिठत धारा 50 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए भांडागारण (विकास और विनियमन) प्राधिकरण, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति नियम, 2013 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियमन) प्राधिकरण, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य नियुक्ति नियम, 2020 है।
- (2) भांडागारण (विकास और विनियमन) प्राधिकरण, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति नियम, 2020 के नियम 5 के उप नियम (1) में **'कृषि, बैंककारी'** शब्दों के स्थान पर **'कृषि बैंककारी'** शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. टीएफसी/13/2008]

नन्दिता गुप्ता, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II खण्ड-3 उप-खण्ड (i) में सा.का.िन. संख्या 408(अ) तारीख 26 जून, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.िन. संख्या 669(अ) तारीख 3 अक्तूबर, 2013 द्वारा संशोधन किया गया था।

5198 GI/2020 (1)

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

## (Department of Food and Public Distribution)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st October, 2020

- **G.S.R.** 670(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 read with section 25 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the central government hereby makes the following rules, further to amend the Warehousing (Development and Regulatory) Authority, appointment of Chairperson and other members Rules, 2013 namely:-
- 1.(1) These rules may be called the Warehousing (Development and Regulatory) Authority, appointment of Chairperson and other members Amendment Rules, 2020.
- (2) In the Warehousing (Development and Regulatory) Authority, Appointment of Chairperson and other members Rules, 2013, in rule 5, in sub-rule (1), for the words "agriculture, banking", the words "agriculture banking" shall be substituted.

[F. No. TFC/13/2008]

NANDITA GUPTA, Jt. Secy.

**Note** .- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 408(E), dated the 26th June, 2013 and subsequently amended vide number G.S.R. 669(E), dated 3rd October, 2013.